

प्रेस नोट थाना खुदागंज

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

सहारनीय कार्य दिनांक 02.10.2026

थाना खुदागंज पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही, मंदिर में दो साधुओं की हत्या कर शव जलाने की घटना का सफल अनावरण, वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तिलहर के कुशल निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना प्रभारी निरीक्षक खुदागंज के नेतृत्व में थाना खुदागंज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 01.10.2026 को आवेदक श्री शिव कुमार सिंह पुत्र श्री अनंगपाल सिंह निवासी ग्राम सूथा, थाना खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना खुदागंज पर तहरीर दी गयी कि बाबा गोपाल दास चेला रामानन्द गिरी निवासी मोहल्ला अजीजगंज, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर तथा बाबा बिहारीदास पुत्र बृजपाल सिंह निवासी ग्राम सूथा, थाना खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुर की हत्या कर शव जलाने की घटना सुमित कुमार सिंह पुत्र विष्णु सिंह निवासी ग्राम सूथा, थाना खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा कारित की गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खुदागंज पर मु०अ०सं०-243/2026 धारा 103(1) बीएनएस बनाम सुमित कुमार सिंह उपरोक्त पंजीकृत किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशन एवं प्रभारी निरीक्षक खुदागंज के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा नामित अभियुक्त सुमित कुमार सिंह को दिनांक 01.10.2026 को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी तथा घटना के संबंध में गांव के अन्य व्यक्तियों से भी गहनता से जानकारी प्राप्त कर साक्ष्य संकलित किये गये। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त सुमित कुमार सिंह को आज दिनांक 02.10.2026 को विधिक रूप से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक लोहे की रॉड बरामद की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण —

सुमित कुमार सिंह पुत्र विष्णु सिंह निवासी ग्राम सूथा, थाना खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 35 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु०अ०सं०-243/2026, धारा 103(1) बीएनएस, थाना खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुर।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0सं0 113/2020, धारा 323/325/504/506 भादवि व 3(1)(घ)/3(1)(द) एससी/एसटी एक्ट, थाना खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुरा
2. मु0अ0सं0 275/2020, धारा 427/435/504/506 भादवि, थाना खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुरा
3. मु0अ0सं0 346/2020, धारा 429 भादवि, थाना खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुरा
4. मु0अ0सं0 132/2021, धारा 147/148/323/325/34/427 भादवि, थाना खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुरा
5. मु0अ0सं0 10/2022, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुरा
6. मु0अ0सं0 99/2025, धारा 109(1)/131/326(f)/351(3)/352 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुरा
7. मु0अ0सं0 268/2025, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुरा
8. मु0अ0सं0 243/2026, धारा 103(1) बीएनएस, थाना खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुरा

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त सुमित कुमार सिंह पुत्र विष्णु सिंह, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम सूथा, थाना खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुरा से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 01.10.2026 की रात्रि में ग्राम सूथा स्थित मंदिर में सो रहे बाबा गोपाल दास एवं बाबा बिहारीदास की लोहे की रॉड से मारकर हत्या कर दी तथा मंदिर में रखी लकड़ियों एवं दीपक जलाने के लिए रखे घी को डालकर दोनों शवों को जला दिया। अभियुक्त ने बताया कि वह स्वयं मंदिर में रहना चाहता था। घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड को मंदिर के पास झाड़ियों में छिपा दिया था। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड मंदिर के पास झाड़ियों से बरामद की गयी।

बरामदगी का विवरण:

01 अदद लोहे की रॉड, लम्बाई करीब 2.5 फीट, जिस पर खून के धब्बे लगे हैं, बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार मौर्य, थाना खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुरा

उ0नि0 श्री दिनेश चन्द्र, थाना खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुरा

उ0नि0 श्री सुमित कुमार, थाना खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुरा

का0 1856 राजीव चौधरी, थाना खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुरा

का0 1962 गौरव शर्मा, थाना खुदागंज, जनपद ।